



छठ पूजा के
तीसरे दिन
ब्रतियों ने द्यूबते
सूर्य को दिया
अर्घ्य

DB दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

उगा हो सुरुज देव, अरघ के बेर...

एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की

एजेंसी | नई दिल्ली

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसआईआर) ने सोमवार को दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पूरीकरण (ईसआईआर) करने की घोषणा की। मूर्ख निर्वाचन आयुक्त (सीईआर) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का मुख्य मकसद कार्ड भी पार व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे और आपत्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं रहे। उन्होंने पहले चरण में विहार में कराए गए एसआईआर को सफल बताया और कहा कि राज्य के करीब साडे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर मंगलवार से शुरू की जा रही है, वहां पर आज आधी रात को ही मतदाता सूची को फ्रीज कर दी जाएगी। जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण में एसआईआर होने जा रही हैं।

► राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर
► 7 फरवरी तक पूरा होगा
► अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR, लेकिन असम में नहीं

मतदाता सूची फ्रीज

उन्होंने नई दिल्ली रिप्ट विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया, 7 फरवरी, 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ खत्म हो जाएगी। मूर्ख निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्य के करीब साडे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर मंगलवार से शुरू की जा रही है, वहां पर आज आधी रात को ही मतदाता सूची को फ्रीज कर दी जाएगी। जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण में एसआईआर होने जा रही हैं।



गणना प्रपत्र के मिलान और लिंकिंग के लिए बीएलओ 3 बार जाएंगे घर

निर्वाचन आयोग ने कहा कि विहार में एसआईआर के पहले चरण के अनुभव से सीखते हुए, हमने यह भी तय किया कि बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म के मिलान और लिंकिंग के लिए लोगों के घरों में तीन बार जायेंगे। सीईआर कुमार ने कहा कि यदि मतदाता उपलब्ध नहीं है या मिलान और लिंकिंग के दोनों घरों में जाएंगे। मतदाता अंतलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके नाम, या उनके पिता या माता के नाम 2003 की लिस्ट में नहीं हैं।

बीएलओ द्वारा यूनिक गणना प्रपत्र

मूर्ख निर्वाचन आयोग ने कहा कि मौजूदा मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं का बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा यूनिक गणना प्रपत्र दिया जाएगा। इसमें मौजूदा मतदाताओं की सभी जल्दी विवरण शामिल होंगे। साथ ही कहा कि बीएलओ द्वारा मौजूदा मतदाताओं को कॉर्प बॉटन शुरू करने के बाद, जिन सभी लोगों के नाम इसमें गणना प्रपत्र में फॉर्म होते हैं, वे दूसरे मिलान करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके नाम 2003 के मतदाता सूची में थे। अगर हां, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। सीईआर कुमार ने कहा कि यदि उनके नाम नहीं, बल्कि उनके मतदाता मता-पिता के नाम सूची में थे, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बायाका कि 2002 से 2004 तक एक राज्य एसआईआर की मतदाता सूची <http://voters.eci.gov.in> पर कोई भी देख सकता है, और वे खुद ही मिलान कर सकते हैं।

आधार को भी किया शामिल

एसआईआर के दूसरे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के युतांक 9 सिरत को जारी आगे आदेश के तहत एसआर को 12 सालोंकार दस्तावेजों की सूची में शामिल किया है। आधार पर रिति स्पष्ट करने हुए मूर्ख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 'जहां तक आधार कार्ड का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का इस्सेमाल आधार अधिनियम के अनुसार किया जाना है।' इन्होंने बताया कि आधार अधिनियम की धारा 9 कहीं है कि आधार आवास या जन्मावधान का प्रणाली नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई फैसले दिए हैं कि आधार जन्मावधान का प्रणाली नहीं होगा। इस ध्यान में रखते हुए, आधार प्राधिकरण ने अपनी अधिक्षमान जारी की और आज भी, यदि आप आज एक नया आधार डाउनलोड करते हैं।

चक्रवाती तूफान मोंथा ने दी दस्तक



► कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं
► ओष्ठ, बंगाल-तमिलनाडु में रेड अलर्ट


केरल में 2 लोगों की मौत बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोन्था तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अलपुरा में एक भवित्वात विभागीय गतिविधि ने इस बारे में एक नीबू फैसले पर आधार अधिनियम के अनुसार किया जाना है। आधार प्रदेश डिजिस्टर मैनेजमेंट के प्रमुख प्रबर्द्ध जैन ने कहा कि साइक्लोन मोन्था तट के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। तटीय जिलों में बारिश और तेज चल रही है।

महाराष्ट्र में 'बैसाखियों' की जरूरत नहीं : अमित शाह

► मुंबई में भाजपा के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा को किसी 'बैसाखी' की जरूरत नहीं है, यहीं अपनी तकात और संसार के बल पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आहान किया कि आगामी स्थानीय कानूनों में विषयक आयोग ने सूची तरह सफाया कर दें। शाह मुंबई के चैरिटेंट स्टेशन के पास महाराष्ट्र भाजपा ने नए कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवाला भी जूळ रहे।



55 हजार वर्गफीट में बनेगा भाजपा कार्यालय

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नया भाजपा कार्यालय 55 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक संविधानों से लैस स्प्रिटलाइट, जॉनेस रूम, 400 सीट वाला सभागार और पार्टी पार्विकरियों के लिए विषयक कार्यालय होगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए पार्टी कार्यालय किसी मंदिर से कम नहीं, जहां विचार, नीति और जनसेवा के संस्कार किया होता है।

परिवारवाद की राजनीति नहीं

अमित शाह ने विषय पर निशाना साझे हुए कहा कि अब देश में परिवारवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'एक चाहे बनें वाले के घर में जन्मान्वय का परिवारियम है।' शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊँचाईयों को छू रहा है और अब वाले समय में जनता के केवल विकास की राजनीति को ही खींकी रखी जाएगी।

सर्वेक्षण पोत 'इक्सक' अगले महीने को होगा नौसेना में शामिल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई पुलिस ने छह अक्टूबर को गिरफतार किया है। ये सभी अनानी नागरिक मुंबई में फॉर्म दस्तावेजों के अधार पर रह रहे थे। पूछताछ में ये सभी लोग किसी भी प्रकार का सही दस्तावेज नहीं देखा जा सका। सोमवार को किसी भी अनानी नागरिक को मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के नेतृत्व में देश विकास की विषयक आयोगी नामांकन के लिए विषयक कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पार्टी कार्यालय किसी मंदिर से कम नहीं, जहां विचार, नीति और जनसेवा के संस्कार किया होता है।

फॉर्म दस्तावेज बरामद

बताया कि आरोपियों की परिवार की विवाह नामांकन कंधार निवासी अद्वृत सम्मद हाजी अहमद जई नौरोजी (47), कावुल निवासी मोहम्मद रसूल कामालुद्दीन खाकसार (24), जिया उल हक अहमदी (36), असद खान तारा काई (36), मोहम्मद इक्बाल हमेज गजनवी (36) और जात्रा प्रतीक की रुलाह (48) के रूप में हुए हैं।

परिवारवाद की राजनीति नहीं

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई पुलिस ने छह अक्टूबर को गिरफतार किया है। ये सभी अनानी नागरिक मुंबई में फॉर्म दस्तावेजों के अधार पर रह रहे थे। पूछताछ में ये सभी लोग किसी भी प्रकार का सही दस्तावेज नहीं देखा जा सका। सोमवार को किसी भी अनानी नागरिक को मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के नेतृत्व में देश विकास की विषयक आयोगी

